

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेले फिलिप्स

दैनिक भारतीया बस्ती

बस्ती 25 अक्टूबर 2026, रविवार

सम्पादकीय

सड़क हादसे और तंत्र

सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित आने पर पहुँचना चाहता है। वह बाहे बाइक से दफ़तर जा रहा हो, बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हो या परिवार के साथ कार से सफ़र कर रहा हो। लेकिन सड़क पर सुरक्षा की यह सामान्य अपेक्षा कई बार एक दर्दनाक हादसे में बदल जाती है। किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य लौटकर नहीं आता, किसी माँ की गोद सूती हो जाती है और किसी बच्चे के लिए से पिता का साया उड़ जाता है। ऐसे हादसों के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, जांच के निर्देश दिए जाते हैं और यातायात नियमों के पालन की अपील की जाती है। फिर ज़िंदगी अपनी रफ़्तार पकड़ लेती है, लेकिन दुर्घटना के कारणों को दूर करने का सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। तेज़ रफ़्तार, ग़लत दिशा में वाहन चालाना, नशे में ड्राइविंग, हेलेटन न पहनना और सीट बेल्ट की अनदेखी गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में चालान और कानूनी कार्रवाई जरूरी है। यदि नियम तोड़ने वालों को यह विश्वास हो जाए कि वे बिना किसी दंड के बच निकलेंगे, तो यातायात व्यवस्था को अस्थापित रखना कठिन होगा। लेकिन सड़क सुरक्षा को केवल चालान टाटने और जुर्माना वसूलने तक सीमित कर देना भी उचित नहीं है। दुर्घटना रोकने के लिए यह देखना उचित ही जरूरी है कि सड़क की बनावट, संकेतक, रोशनी और यातायात प्रबंधन सुस्थिति है या नहीं।

देश में सड़क हादसों का आंकड़ा इस चुनौती की गंभीरता बताता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष देश में लगभग 1.99 लाख यातायात संबंधी मौतें दर्ज की गईं। इनमें करीब 1.75 लाख मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई थीं। उत्तर प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इन आंकड़ों को केवल संख्याओं के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। इनके पीछे हजारों परिवारों का दुःख, उपचार का खर्च, आजीविका का संकट और लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक प्रभाव छिपा है।

सड़क दुर्घटना के लिए चालक की गलती को कई बार सबसे आसान कारण मान लिया जाता है। निश्चित रूप से लापरवाही से वाहन चलाने वाले व्यक्ति की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन हर दुर्घटना की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कहीं सड़क पर अचानक बूझा सामने आ जाता है, कहीं मोड़ पर पर्याप्त संकेतक नहीं होते, कहीं अंधेरे में सड़क का चिह्नारा दिखाई नहीं देता और कहीं चौराहे पर यातायात का उचित प्रबंधन नहीं होता। ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो केवल वाहन चालकों को चेतावनी देकर जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती।

सड़क बनाने का उद्देश्य केवल एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ना नहीं है। सड़क ऐसी होनी चाहिए, जिस पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा भी हो। ब्याज रखा गया है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता, उचित ढलान, मोड़ों की बनावट, जल निकासी, फुटपाथ, डिवाइडर, संकेतक और रात में पर्याप्त रोशनी जैसे पहलू सीधे सुरक्षा से जुड़े हैं। सड़क बनने के बाद उसके नियमित जाँच और मरम्मत का भी आवश्यक है। निर्माण के समय थोड़ी-सी लापरवाही या रखरखाव में लंबे समय तक की गई अनदेखी किसी दिन गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

डिजिटल व्यवस्था पर भरोसे का प्रश्न

आज के दौर में तकरीबी कामकाज को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जन्म प्रमाणपत्र से लेकर जमीन के रिकॉर्ड, बैंकिंग सेवाओं से लेकर मतदाता सूची तक, तकनीकी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेवा एकदमकान में तेजी आए, पारदर्शिता बढ़े और लोगों को सरकारी दफ़तर्ों के चक्कर कम लगाने पड़े। लेकिन जब इसी डिजिटल व्यवस्था में गलती होती है, तो आम नागरिक के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे में समाज उत्तम स्वाभाविक है कि जित्त व्यवस्था पर भरोसा करके लोग अपने उजरती काम छोड़ रहे हैं, उसकी गलतियों की जिम्मेदारी आधिक कौन लेता?

मतदाता सूची लोकरन्त की बुनियादी जरूरत है। इसमें नाम होना केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि मतदान के अधिकार से जुड़ा विषय है। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत दर्ज हो जाए, नाम की वतनी बदल जाए या रिकॉर्ड में ऐसी त्रुटि हो जाए जिससे उसकी पहचान पर संदेह पैदा हो, तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतदाता सूची तैयार करने में तकनीकी की मदद तो जा सकती है, लेकिन अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक पात्र नागरिक का रिकॉर्ड सही रहे और उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में अनावश्यक कठिनाई न हो।

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी और ओर व्यापक पहुँच है। पहले जिस काम में कई दिन लगते थे, वह अब गीनलाइन मध्यम से कम समय में पूरा हो सकता है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जानकारी खोजने और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी तकनीकी उपयोगी है। लेकिन यह मान लेना कि कंप्यूटर पर दर्ज जानकारी हमेशा सही होगी, एक बड़ी गलती है। किसी भी प्रणाली में गलत जानकारी दर्ज होने, सॉफ्टवेयर की खामी, भाषा संबंधी त्रुटि या मानवीय लापरवाही की संभावना बनी रहती है। तकनीकी काम को तेज़ कर सकती है, लेकिन सही निर्णय और जांचबदेही की जरूरत समाप्त नहीं कर सकती।

भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारी रिकॉर्ड में नाम, पता और दूसरी जानकारीयाँ अलग-अलग भाषाओं में दर्ज होती हैं। किसी नाम का गलत अनुवाच या लिप्यांतरण व्यक्ति की पहचान को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है। स्थानीय भाषा और नामों की विशेषताओं को लेकर बिना केवल स्थानीयत प्रक्रिया पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए डिजिटल प्रणाली तैयार करते समय भाषाई विविधता, स्थानीय परिस्थितियों और मानवीय सत्यापन का ध्यान रखना आवश्यक है।

यह समस्या केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। जमीन के रिकॉर्ड में गलती हो तो संघर्ष से जुड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। पेशन के रिकॉर्ड में त्रुटि हो तो किसी दुर्घुर्ण को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कालबाज़ी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। छात्रवृत्ति के आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो जाए तो विद्यार्थी आर्थिक सहायता से वंचित हो सकता है। बैंक खाते या पेशन संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने पर भी नागरिक को समय और संसाधन खर्च करने पड़ सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि डिजिटल रिकॉर्ड में त्रुटि दिखाई देने वाली गलती भी किसी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है।

ऐसी स्थिति में सचेत जरूरी है कि गलती घुसाने की प्रक्रिया आसान हो। नागरिक को यह पता होना चाहिए कि शिकावत कैसे करनी है, निम्न दस्तावेज़ों की जरूरत होगी और समाधान के लिए कितना समय निर्धारित है।

22 प्रतिज्ञाओं पर विवाद, राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ीं



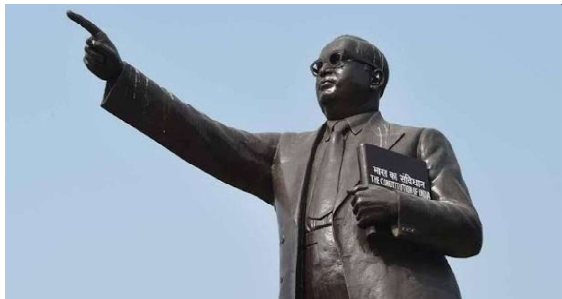
—स्वदेश कुमार—

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। उनके खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई भ्रष्टाका्र भाषण देने और अवैध रूप से बाहरी फंडिंग हासिल करने के आरोपों के तहत की गई है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब दिल्ली के रानी झासी रोड स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित श्रद्धा द्क्षेत्र कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा और प्रवक्ता राजकुमार भाटी को मंच पर हाथ उठाकर डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा 1956 में दी गई ऐतिहासिक 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए देखा गया। इन प्रतिज्ञाओं में पारंपरिक हिंदू, बौद्ध-निर्वाजां और न मानने, ब्रह्म-विष्णु-महेश और मन-ब्रह्मण को भगवान स्वीकार न करने तथा उनकी पूजा न करने की कठोर

शपथ शामिल थी। वीडियो के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी को शब्दु विरोधी मानसिकता वाली पार्टी करार देते हुए चोतरका हमला बोल दिया, जिसने अंततः इस मामले को पुलिस थाने की चौखट तक पहुंचा दिया।

भाटी के इस यू-टून पर बहुजन और बौद्ध संगठनों ने भी आपत्ति जताई है और इसे बाबा साबब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं का अपमान बताया है। आलोचकों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से 22 प्रतिज्ञाएं लेता है, तो वह बौद्ध धम्म में दीक्षित माना जाता है, लेकिन पार्टी की डॉट और राजनीतिक नीतियों के डर से भाटी अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। दादरी पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर्त गैर हिंसात्मक के आधार पर गहन जांच शुरू कर दी है, जिसमें भाषण की मूल रिकॉर्डिंग और उनके संगठन को मिलने वाली आर्थिक मदद के स्रोतों की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जलितग और धार्मिक मनीषकों को देखते हुए यह विवाद समाजवादी पार्टी के शपीटीएए (पिपडूटा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।

वैसे, भारतीय राजनीति के इतिहास में यह कोई पहली घटना नहीं है, जब किसी दल के धर्म बदलने या किसी दूसरे धर्म की ओर झुककर रखने पर इतना बड़ा बहस खड़ा हुआ हो। राजनीति में रहते हुए



धर्म परिवर्तन करने की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मिसाल खुद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पेश की थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों को सर्वजनिक मंच पर दिल्ली के करोल बाग में आयोजित एक सांूहिक धम्म दीक्षा कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में भी हजारों लोगों के साथ हिंदू देवी-देवताओं की पूजा न करने की यही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थीं। जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना दिया। गुजरात चुनाव पास होने के कारण नए आम आदमी पार्टी को मरी राजनीतिक नुकसान का डर सताते हुए। भारी दबाव के बीच राजेंद्र पाल गौतम को न केवल अपने मंत्री पद से इस्तीफा

देना पड़ा, बल्कि बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। यह घटना दर्शाती है कि लोकतांत्रिक राजनीति में जब कोई नेता अपने धार्मिक विश्वासों को सर्वजनिक मंच पर लाता है, तो उसकी कीमत उसके पूरे राजनीतिक करियर को चुकानी पड़ सकती है।

इसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति में द्रविड आंदोलन के अग्रदूत और करिश्माई नेता मुथुवेला करुणानिधि और ई.वी. रामासामी शेरियारर की विरासत ने हमेशा धर्म और राजनीति के अंतर्संबंधों को चुनौती दी। हालांकि दक्षिण में धर्म का यह बदलाव नेताओं को सत्ता की सीढ़ियाँ उभारने में बेहद मददगार साबित हुआ। इसके विपरीत, उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह से सत्तानी और रुढ़िवादी धारा से बुनी हुई है, जहां किसी भी स्थापित नेता द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलना या ऐसी किसी प्रतिज्ञा का हिसा बनाना आत्मघाती कदम माना जाता है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी



—संजीव ठाकुर—

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करोड़ों मतदाताओं द्वारा यह चुनाव से अपने विचार,संसद, मंत्री मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री तक का चुनाव किया जाता है। लाजमी है कि यहां विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है की सभी स्तर के चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण तथा श्वानित तरीके से संपन्न किए जाएं जिससे जनता को सही तथा समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। चुनाव केवल प्रतिनिधित्वों के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विविधताओं से भरे समाज की आकांक्षाओं, असहमतियों और अधिकारों की अभिव्यक्ति भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपता है। वहीं अनुच्छेद 326 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक के सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मत समान महत्व रखे और सत्ता का निर्धारण जनता की स्वतंत्र इच्छा से हो। हालांकि, संवैधानिक प्रावधानों की वास्तविक सकलता उन निष्पक्ष क्रियायनयन को ही सुनिह होती है।

लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लेकिन का यह प्रसिद्ध कथन लोकतंत्र के सार को पूरी तरह स्पष्ट करता है। लेकिन लोकतंत्र की इस महान इमारत की नींव किस पर टिकी है? इसका उत्तर है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता, समता और सामूहिक इच्छाशक्ति का सबसे बड़ा उत्पत्त है। जब चुनाव निष्पक्ष नहोते हैं, तो हर नागरिक की आवाज गुंती है, और जब इतमें धांधली होती है, तो लोकतंत्र अपनी आत्मा खो देता है। हम निष्पक्ष चुनाव के विविध नजरियों, इसके दार्शनिक पहलुओं, महत्त्वपूर्ण के विचारों और विश्वी राजनेताओं के नजरिया और दृष्टिकोणों की बात करें तो यह मुद्दा किसी विस्तार से चर्चा करने लायक है निष्पक्ष चुनाव का अर्थ केवल इतना नहीं है कि मतदान के दिन कोई



हिंसा न हो। इसके दायरे में बहुत सी बातें आती हैं।

समान अवसर सत्ता प्क्षा और विपक्ष दोनों को प्रसार करने, मीडिया तक पहुंचने और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के समान अवसर मिलने चाहिए। मतदाता सूची से लेकर मारगणना तक की प्रक्रिया पारशीर होनी चाहिए। चुनाव करने वाले पक्षों किसी भी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए।विविधता जन निर्माताओं में भी इस बात को समझना था। भारतीय संविधान के शिर्षी डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा थाकृ ष्णविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे साबित हों, तो संविधान भी लोभ बुरे साबित होगा।यह बात चुनावों पर भी पूरी तरह लागू होती है। चुनाव प्रक्रिया कितनी भी कानूनी रूप से संपन्न क्यों न हो, अगर उसे संचालित करने वाले या उसमें भाग लेने वाले लोग नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाते, तो निष्पक्षता खतरों में पड़ जाती है। दुर्भाग्यवश के महान विचारकों और नेताओं ने चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता को धरा दिया है।

महान्मा गांधी नैतिकता और राजनीति को असंग-बलंग नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्र्ण न और स्र्भ्य दोनों पवित्र होने चाहिए।यदि चुनाव जीतने के साधन भ्रष्ट जैसे भ्रमल और बाहुल्य का प्रयोग हैं, तो मिलने वाली जीत का कोई भ्रष्ट हो जाते, तो निष्पक्षता खतरों में पड़ जाती है। दुर्भाग्यवश के महान विचारकों और नेताओं ने चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता को धरा दिया है।

महान्मा गांधी नैतिकता और राजनीति को असंग-बलंग नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्र्ण न और स्र्भ्य दोनों पवित्र होने चाहिए।यदि चुनाव जीतने के साधन भ्रष्ट जैसे भ्रमल और बाहुल्य का प्रयोग हैं, तो मिलने वाली जीत का कोई भ्रष्ट हो जाते, तो निष्पक्षता खतरों में पड़ जाती है। दुर्भाग्यवश के महान विचारकों और नेताओं ने चुनावों की पवित्रता और निष्पक्षता को धरा दिया है।

बॉलीवुड में लौट रहा गैंगस्टरों का खौफ?



—रोहित माहेश्वरी—

देश में संगठित अपराध और गैंगस्टरों की बढ़ती प्रतिक्रियायाँ कानून-व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुकी हैं। हाल के महीनों में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सिडिकेट और अन्य आपराधिक गिरोहों ने देश के कई राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर रखा है। फिल्म अभिनेताओं राजनेताओं और व्यापारियों को निशाना बनाकर सरआेम की जा रही फायरिंग और बलात्कारी वारंताओं ने शासन-प्रशासन के इकबाल पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।

बीते दिनों बॉलीवुड अभिनेता टाइटगर श्रॉफ पर हुआ हमला इसका हालिया उदाहरण है। जो बताता है कि गैंगस्टर कैसे के कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। पहले भी सलमान खान व रोहित शेट्टी जैसे सितारे और फ़िल्म निर्माता गैंगस्टरों के निशाने पर रहे हैं। जो बताता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब भी संगठित अपराध कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हुए हैं। यह सरकारी न्याय है कि मुंबई पुलिस की सुक्रिया सूचनाओं की मदद से कोटा रेलवे स्टेशन से तीन संधिय हमलावरों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के बाद सबसे पहला सवाल यही था कि क्या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पुराना खौफ लौट रहा है। क्या यह हमला बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के पुराने खौफ की वापसी का संकेत है या इसे एक अलग घटना के तौर पर देख जाना चाहिए? देश में कानून-व्यवस्था के स्मार्तर अपराध की सत्ता बनने वाले गिरोहों का इतिहास पुराना है। बेराक समय के साथ अपराधी संगठनों के नामकरण और अपराध के तौर-तरीके जरूर बदले हों, लेकिन उनका खौफ गाहे-बगाहे बना रहा। कभी मुंबई लहजा मराठा और दादर से लेकर छोटे रस्तान के गंगवार की साक्षी रही है। अब वहां नई रीति से गैंगस्टरों का खदल बढ़ रहा है।

निस्संदेह, इन मामलों को महज धमाकियों और जबरन वसूली तथा हिंसा की इस्का-दुस्का घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में ये समाज में लगातार गहरी होती जाते हुए गंभीर समस्या

के लक्षण हैं। यदि समय रहते ऐसे गैंगस्टरों की कमर नहीं तोड़ी जाती तो ये समाज में रक्तबीजों की तरह लगातार बढ़ते जाएंगे। उनकी लुटपाट का खामियाजा कालांतर कानून-व्यवस्था बलिहोत होने से समाज को ही भुगताना पड़ेगा।

दरअसल, पुलिस की शुरूआती जांच से पता चला है कि इस हमले के संदिग्ध हमलावरों में से एक का संबंध लॉरेस बिश्नोई गिरोह के कथित साथी है। यह खबर-खीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए लॉरेस बिश्नोई साल 2015 से जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौसी पुलिस सुचना में जेल में बंद लॉरेस बिश्नोई का नाम गाहे-बगाहे विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के रूप में कैसे उभर रहा जाता है? भारत ही नहीं, उसके साथी यूरोप व अमेरिका में सक्रिय बराये जाते हैं। अमेरिका में उसे अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर गिरोह के रूप में चिन्हित किया जाता है।

कुछ समय पहले उसके करीबी अजय अग्रवाल को सौवाल गिरोहों में से एक, कस्मवी सिंह को कानडा से डिपोट किया गया था। पिछले महीने पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसी दूसरी ओर लॉरेस बिश्नोई के भाई अनसोल को नवंबर 2025 में अमेरिका से डिपोट किया गया था। उसके उपरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल, यह मामला आपराधिक गिरोहों और आतंकी समूहों के बीच सांठगांठ से जुड़ा बताया जाता है।

कंदीय गुज मंत्रालय ने सुरक्षा कार्णों और सड़क व्यवस्था का हवाला देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा जेलनी के रूप से खसरा हो गए हैं। तेलनी में ठेके गैंगस्टर की एफ़्टिडेट लागू की है, जिसके तहत लॉरेस बिश्नोई जैसे अपराधियों को गुजरात की साबरमती जेल से बाहर ले जाने या मुंबई पुलिस की प्रत्यक्ष कस्टडी में ले जाने पर रोक है। इस वजह से जांच एजेंसीयां केवल जेल के अंदर ही पूर्रताघ कर पा रही हैं, जिससे बड़ी सांठगांठों का पूरी तरह पताधार करने में बाधा आ रही है। विश्वी दल सरकार पर संगठित अपराध पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया जा रहा है।

खुलकर व्यक्त की। आंध्र प्रदेश की राजनीति में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और उनके पुत्र वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी का परिवार भी राजनीति और 6 र्म के एक अलग समीकरण को पेश करता है। जगन मोहन रेड्डी का परिवार मूल रूप से हिंदू पृष्ठभूमि से आने के बावजूद ईसाई धर्म का अनुयायी है। जब वे सत्ता में आए, तो विपक्ष ने उन पर तिरमाला तिरुपति देवस्थानम जैसे पवित्र हिंदू स्थलों के प्रबंधन में ईसाई एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओंछकर ईसाई धर्म अपनाया, तकि वे स्थानीय बहुसंख्यक ईसाई आबादी के साथ खुद को जोड़ सकें। यहां की श्रेष्ठ राजनीति में धर्म का यह बदलाव नेताओं को सत्ता की सीढ़ियां उभारने में बेहद मददगार साबित हुआ। इसके विपरीत, उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह से सत्तानी और रुढ़िवादी धारा से बुनी हुई है, जहां किसी भी स्थापित नेता द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलना या ऐसी किसी प्रतिज्ञा का हिसा बनाना आत्मघाती कदम माना जाता है।

पूलेतर भारत के राज्यो विशेकर नागालैण्ड, मिजोरम और मेघालय में भी कई ऐसे जनजातीय नेता हुए हैं, जिन्होंने अपनी पारंपरिक लोक मान्यताओं या हिंदू-बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया, तकि वे स्थानीय बहुसंख्यक ईसाई आबादी के साथ खुद को जोड़ सकें। यहां की श्रेष्ठ राजनीति में धर्म का यह बदलाव नेताओं को सत्ता की सीढ़ियां उभारने में बेहद मददगार साबित हुआ। इसके विपरीत, उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह से सत्तानी और रुढ़िवादी धारा से बुनी हुई है, जहां किसी भी स्थापित नेता द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलना या ऐसी किसी प्रतिज्ञा का हिसा बनाना आत्मघाती कदम माना जाता है।



का आरोप लगा रहे हैं। गैंगस्टरों के इस बढ़ते दुस्सास को कुचलने के लिए कई कानूनी काम भी उठाए जा रहे हैं। जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अपराधियों का खामियाजा कालांतर कानून-व्यवस्था बलिहोत होने से समाज को ही भुगताना पड़ेगा।

दरअसल, पुलिस की शुरूआती जांच से पता चला है कि इस हमले के संदिग्ध हमलावरों में से एक का संबंध लॉरेस बिश्नोई गिरोह के कथित साथी है। यह खबर-खीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए लॉरेस बिश्नोई साल 2015 से जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौसी पुलिस सुचना में जेल में बंद लॉरेस बिश्नोई का नाम गाहे-बगाहे विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के रूप में कैसे उभर रहा जाता है? भारत ही नहीं, उसके साथी यूरोप व अमेरिका में सक्रिय बराये जाते हैं। अमेरिका में उसे अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर गिरोह के रूप में चिन्हित किया जाता है।

कुछ समय पहले उसके करीबी अजय अग्रवाल को सौवाल गिरोहों में से एक, कस्मवी सिंह को कानडा से डिपोट किया गया था। पिछले महीने पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसी दूसरी ओर लॉरेस बिश्नोई के भाई अनसोल को नवंबर 2025 में अमेरिका से डिपोट किया गया था। उसके उपरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल, यह मामला आपराधिक गिरोहों और आतंकी समूहों के बीच सांठगांठ से जुड़ा बताया जाता है।

वहीं आधुनिक गैंग पूरतये तरीकों से हरकत करी की विरोधिता और तेलनी में ठेके गैंगस्टर की एफ़्टिडेट लागू की है, जिसके तहत लॉरेस बिश्नोई जैसे अपराधियों को गुजरात की साबरमती जेल से बाहर ले जाने या मुंबई पुलिस की प्रत्यक्ष कस्टडी में ले जाने पर रोक है। इस वजह से जांच एजेंसीयां केवल जेल के अंदर ही पूर्रताघ कर पा रही हैं, जिससे बड़ी सांठगांठों का पूरी तरह पताधार करने में बाधा आ रही है। विश्वी दल सरकार पर संगठित अपराध पर लगाम लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया जा रहा है।

संदिग्ध परिस्थिति में दुकान में फंदे से लटका
मिला युवक का शव, हत्या की आशंका



दोपहर को कोई रिपु जायसवाल को दुकान पर ढूँढते आया। न मिलने पर अन्य लोगों को भी उसने जानकारी दे दी। कुछ देर बाद पता चला कि रिपु

जायसवाल दुकान के ऊपरी मंजिल पर रस्सी के सहारे पंखे की कुंडी से लटक रहे हैं। सूचना मिलते ही खलबली मच गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच की। परिजन



कर्ताओं में भरा जोश



ही कार्यकर्ताओं की सूची मांगी जाएगी और रेलवे से उनके आरक्षण की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि

डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान

मैं काथित गड़बड़ा का मामला उठाया
गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि



जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, देवारया
जिलाध्यक्ष रोशन मल, कुशीनगर
जिलाध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा, पूर्व
जिलाध्यक्ष त्रिभुवन नारायण मिश्रा
समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता
और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गोविंद आश्रम
रघुनंदन दास



रहेगी। उन्होंने आश्रम की परंपराओं को बनाए रखने और सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।

श्रद्धांजलि सभा में बिंदुगद्याचार्य स्वामी देवेन्द्रप्रसादाचार्य, जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामविन्देशचर्य, श्री रामचन्द्रलाल शर्मा के अधिकांरी राजकुमार दास, महामंडलेश्वर महंत गिरिशदास, महंत सुखदेव दास, महंत मनीषदास, महंत शशिकांत दास, महंत कमलाकांत रामायणी, महंत ब्रजमोहन दास, महंत रामचंद्र दास और शालग्रामी महंत रामदास सहित दर्शक संख्या में संत—महंत एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

जिला पंचायत भवन गांधीनगर
बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं
प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक-**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अधोधा-फैजाबाद कार्यालय-
वक्तुनी मैदर फिरस लखन्य घाट
अधोधा-फैजाबाद
अधोधा-कार्यालय-
लाथियान चौहाल, एलडीए कॉलोनी,
रैबटूर पथ कानपुर सेक लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय-
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो० 9336715406, 8400925463
ईमेल ghabartiabasti@gmail.com